# न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

## पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

**प्रकरण सं0 : 02/2019**

**अनवान :**

1. श्योचन्द पुत्र श्री इन्द्राज जाति जाट निवासी गांव नेठराना तहसील भादरा।

**– प्रार्थी**

**बनाम**

1. देवीलाल पुत्र इन्द्राज जाति जाट निवासी गांव नेठराना तहसील भादरा।
2. तहसीलदार राजस्व तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

**– अप्रार्थीगण**

**प्रार्थना पत्र बाबत : रास्ता स्वीकृत करने**
**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राज0 काश्त0 अधिनियम**
**सपठित धारा 8(2) राज0कॉलो0 जरनल कण्डीशन एक्ट**
**उपस्थिति : वकील श्री श्रवण सहारण : प्रार्थी**
**निर्णय दिनांक : 7.2.19**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि गांव नेठराना के चक 3 बीआरडब्ल्यु के खाता सं0 7/5 के मु0नं0 26 के किला नं0 11/2 की 0.114 है0 दक्षिणी तरफ की किला नं0 20, 21 की 0.506 है0 इसी प्रकार कुल 0.620 है0 नहरी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के नाम खातेदारी दर्ज है।

गांव नेठराना के चक 3 बीआरडब्ल्यु के खाता सं0 7/5 के मु0नं0 26 के किला नं0 1 से 3, 8 से 10, 11/1 की 0.139 है0 उत्तरी तरफ की किला नं0 12, 13, 18, 19, 22, 23 इस प्रकार कुल 3.175 है0 नहरी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी देवीलाल के नाम खातेदारी दर्ज है।

प्रार्थी श्योचन्द व अप्रार्थी देवीलाल दोनों सगे भाई है। दोनों ने आपसी सहमति से दिनांक 01.10.2018 को खाता विभाजन करवाया था जिसमें स्वीकृत रास्ता की तरफ अप्रार्थी देवीलाल की कृषि भूमि हिस्सा में आई एवं उसकी दक्षिणी तरफ मुझ प्रार्थी श्योचन्द के हिस्सा में कृषि भूमि आई। चूकि उस समय हम दोनों राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज नहीं करवा सके।

मु0नं0 26 के उत्तरी तरफ पूर्व से पश्चिम पहले से स्वीकृतशुदा रास्ता है। उसके बाद प्रार्थी मु0नं0 26 के किला नं0 1, 10, 11 के पश्चिमी तरफ उतर से दक्षिण एक एक बिस्वा रास्ता खाता विभाजन के बाद प्रार्थी उक्त रास्ता से अपने खेत में आवागमन करता आ रहा है लेकिन उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं होने के कारण प्रार्थी को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। इस रास्ता के अलावा प्रार्थी के खेत में जाने के लिए अन्य कोई स्वीकृतशुदा रास्ता नहीं है जबकि यही एक मात्र प्रार्थी के खेत में आवागमन का सरल व सुगम रास्ता है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिऐ नोटिस तलब किया गया। नोटिस तामील होने के उपरान्त प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया। अप्रार्थी सं0 2 ने जवाब पेश किया।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला हनुमानगढ़)

साक्ष्य प्रार्थी में प्रार्थी श्योचन्द पुत्र इन्द्राज के सशपथ बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में नजरी नक्शा चक 3बीआरडब्ल्यु प्रदर्श 1, नकल फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी चक 3 बीआरडब्ल्यु खाता सं0 7/5 सम्वत् 2072 से 75 प्रदर्श 2 प्रदर्शित करवाई।

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थी श्योचन्द व अप्रार्थी देवीलाल दोनों सगे भाई है। दोनों ने आपसी सहमति से दिनांक 01.10.2018 को खाता विभाजन करवाया था जिसमें स्वीकृत रास्ता की तरफ अप्रार्थी देवीलाल की कृषि भूमि हिस्सा में आई एवं उसके दक्षिणी तरफ प्रार्थी श्योचन्द के हिस्सा में कृषि भूमि आई, किन्तु उस समय दोनों राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज नहीं करवा सके।

मु0नं0 26 के उतरी तरफ पूर्व से पश्चिम पहले से स्वीकृतशुदा रास्ता है। प्रार्थी मु0नं0 26 के किला नं0 1, 10, 11 के पश्चिमी तरफ उत्तर से दक्षिण एक-एक बिस्वा रास्ता से खाता विभाजन के बाद अपने खेत में आवागमन करता आ रहा है लेकिन उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं होने के कारण प्रार्थी को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। इस रास्ता के अलावा प्रार्थी के खेत में जाने के लिए अन्य कोई स्वीकृतशुदा रास्ता नहीं है। प्रार्थी के खेत में आवागमन का एक मात्र यही सरल व सुगम रास्ता है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा के रास्ता स्वीकृत किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी ने चक 3 बीआरडब्ल्यु की अपनी खातेदारी में आवागमन हेतु राजस्व रिकार्ड में रास्ता स्वीकृत करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। चूंकि रास्ता बाबत प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 के मध्य आपसी सहमति से राजीनामा हो चुका है एवं प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता सुविधाजनक, सुगम व निकटतम दूरी का एक मात्र रास्ता है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रार्थी साबित है।

अत : प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं सपठित धारा 8(2) राजस्थान कोलोनाईजेशन जनरल कॉलोनी कण्डीशन एक्ट का स्वीकार किया जाता है तथा रोही मौजा चक 3 बीआरडब्ल्यु के खाता सं0 7/5 के मु0नं0 26 के किला नं0 1, 10, 11 के पश्चिमी तरफ उत्तर से दक्षिण एक-एक बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में रास्ता का अंकन किया जावे। तहसीलदार राजस्व भादरा को आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 7.2.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला हनुमानगढ़)
भादरा, जिला हनुमानगढ़